## <u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.—523 / 11 संस्थित दिनांक— 22.11.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

#### विरुद्ध

- 1. बल्लू पुत्र सुखलाल ढीमर उम्र 40 साल
- 2. पुष्पाबाई पत्नी बल्लू ढीमर उम्र 37 साल
- 3. सुरेश पुत्र किशन ढींमर उम्र 50 साल सभी निवासीगण ग्राम मुरादपुर तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

# -: <u>निर्णय</u> :--

# (आज दिनांक 21.02.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा—504, 324/34, 323/34 तीन शीर्ष के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक—05.11.2011 ग्राम मुरादपुर में फरियादी सपना को इस आशय से अपमानित किया कि वह लोकशांति भंग करे अथवा अन्य कोई अपराध कारित करे साथ ही फरियादिया सपना व रामदेवी, रामकली व रूपाबाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में रामदेवी, रामकली एवं रूपाबाई को स्वेच्छया उपहित कारित कर व फरियादिया सपना को धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—05.11.2011 को शामं के समय अभियुक्त बल्लू व सुरेश शराब पीकर आये और सपना से गाली—गलौच करने लगे। सपना ने गाली—गलौच करने से मना किया तो अभियुक्त बल्लू ने चनकारी सपना के सिर में मार दी, जिससे उसके सिर में से खून निकल आया, मौके पर उपस्थित रूपाबाई को आरोपी पुष्पाबाई ने लाठी मारी जो उसके बायें हाथ की कलाई में लगी। रामदेवी व रामकली बचाने आई तो तीनों आरोपियों ने रामदेवी व रामकली के साथ लात घूंसों से मारपीट की, मौके पर उपस्थित साक्षी बाबू व श्यामा ने घटना देखी। घटना के बाद घटना दिनांक को ही रात्रि 09.30 बजे फरियादियां सपना सिहत आहत रामदेवी, रामकली व रूपाबाई ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना चंदेरी में लेखबद्ध कराई। फरियादियां सपना की रिपोर्ट पर से

अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक क्रमांक—785/11 अंतर्गत धारा—323, 504 भा0द0वि0 के तहत लेखबद्ध कर आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादियां सपना को धारदार वस्तु से कारित उपहित पाये जाने पर दिनांक—08.11.11 पुलिस थाना चंदेरी के असल अपराध क्रमांक—434/11 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा—324, 323, 504 के तहत अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—21.02.17 को फरियादी सपना व आहत रामदेवी , रामकली, रूपाबाई के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा—323/34 तीन बार 504 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा—324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निद्मेष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक—05.11.2011 ग्राम मुरादपुर में फरियादियां सपना को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार वस्तु से सपना को स्वेच्छया उपहति कारित की ?
  - 2. | दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अभियोजन की ओर से फरियादी सपना अ0सा0—1 सहित रामदेवी अ0सा0—2 रूपाबाई अ0सा0—3 व रामकली अ0सा0—4 के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादियां सपना अ0सा0—1 का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि 5—6 वर्ष पूर्व नंबवर माह में रात्रि करीबन 07.00—08.00 बजे वह अपने घर पर थी। उनका अभियुक्तगण से पारिवारिक विवाद चल रहा था। घर के बाहर रोड पर आरोपीगण की उसकी मां रामदेवी अ0सा0—2 से कहा सुनी हो गई, जिस पर

आरोपीगण ने उसकी मां के साथ गाली गलौच की थी और झूमाझटकी कर दी थी तथा मौके पर बचाने आये उसकी दादी रामकली अ0सा0—4 व चाची रूपाबाई अ0सा0—3 के साथ भी अभियुक्तगण ने गाली गलौच व झूमाझटकी की थी। फरियादिया के अनुसार घटना उसने घर की छत से देखी थी तथा अभियुक्तगण से उसका कोई विवाद नहीं हुआ न ही अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट की।

- 07— फरियादियां सपना अ०सा०—1 के द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियोजन घटना के विपरीत अभियुक्तगण का स्वयं से कोई विवाद न होना बताती है तथा घटना घर के छत से देखना बताती है, जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार विवाद की शुरूआत अभियुक्तगण ने फरियादियां के साथ की थी तथा अभियुक्तगण शराब पीकर आये थे और अभियुक्त बल्लू ने फरियादियां सपना को सिर में चनकरी मारी थी एवं रूपा अ०सा0—3 को पुष्पा ने बाये हाथ में लाठी मारी थी तथा मौके पर बचाने आये रामदेवी अ०सा0—2 व रामकली अ०सा0—4 के साथ भी अभियुक्तगण ने मारपीट की थी। फरियादियां सपना अ०सा0—1 ने अभियुक्तगण का विवाद उसकी मां रामदेवी अ०सा0—2 के साथ होना बताया है तथा इस साक्षी के अनुसार उसका अभियुक्तगण के साथ न तो कोई विवाद हुआ, न ही अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट की।
- 08— फरियादियां सपना अ0सा0—1 जो कि घटना में मुख्य आहत भी है, के द्वारा अभियोजन के समर्थन में आरोपित अपराध के संबंध में कथन न देने से इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधीकर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, जिसमें इस साक्षी ने इस बात पर अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया कि घटना के समय अभियुक्त बल्लू और सुरेश शराब पीकर आये थे और उसे गालियां दी थी। फरियादियां ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया हैं, कि अभियुक्तगण का उससे विवाद हुआ था तथा अभियुक्त बल्लू ने उसके सिर में चनकरी मारी थी। फरियादियां सपना अ0सा0—1 स्वयं को सिर में चोट आना तो बताती है परंतु उसका कहना है कि उक्त चोट अभियुक्त बल्लू द्वारा कारित न होकर उसे घर की सीढियों से फिसल कर गिरने आई थी। अतः फरियादियां सपना अ0सा0—1 ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया कि विवाद की शुरूआत अभियुक्तगण ने उसके साथ की थी तथा उक्त विवाद में ही अभियुक्त बल्लू ने उसके सिर पर चनकरी से उपहति कारित की थी।
- 09— फरियादियां सपना अ०सा०—1 के कथनों के सामान ही अन्य साक्षी रामदेवी अ०सा०—4 जो कि फरियादियां की मां है, सपना अ०सा०—1 के द्वारा अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि करते हुये यह कहती है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ गाली गलौच किया था तथा साथ ही रूपा अ०सा०—3 व रामकली अ०सा०—4 के साथ भी गाली गलौच कर मारपीट कर दी थी, जिससे उन्हें मामूली चोट आई थी। इसी प्रकार रूपाबाई अ०सा०—3 भी फरियादिया सपना अ०सा०—1 एवं रामदेवी अ०सा०—2 के न्यायालय में दिये कथनों की पुष्टि करते हुये अभियुक्तगण का विवाद रामदेवी से होना बताती है। रामदेवी अ०सा०—2 व रूपा अ०सा०—3 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों मे अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नही किया कि अभियुक्त बल्लू और सुरेश ने सपना के साथ गाली—गलौच की थी तथा अभियुक्त बल्लू ने सपना के सिर में चरकरी मारी थी।

- 10— घटना में अन्य आहत रामकली अ0सा0—4 अपने न्यायालयीन कथनों में घटना की जानकारी होने से इन्कार करती है तथा अपने सामने कोई विवाद न होना बताती है। इस साक्षी ने भी अभियोजन कहानी के विरूद्ध यह कथन दिये है कि सपना अ0सा0—1 का अभियुक्तगण से कोई विवाद नहीं हुआ न ही अभियुक्तगण ने सपना अ0सा0—1 के साथ कोई मारपीट की। इस साक्षी का भी सपना अ0सा0—1 सहित रामदेवी अ0सा0—2 व रूपाबाई अ0सा0—3 के कथनों के सामान यह कहना है कि सपना की आई चोटें सीढियों से गिरने से आई थीं।
- 11— अभियोजन कहानी के अनुसार रामदेवी अ०सा0—2, रूपाबाई अ०सा0—3 तथा रामकली बाई अ०सा0—4 के साथ भी अभियुक्तगण ने मारपीट कर उपहित कारित की है, परंतु विवाद सपना अ०सा0—1 के साथ प्रारंभ हुआ था तथा उसको बचाने में अभियुक्तगण ने रामदेवी, रूपाबाई व रामकली बाई के साथ मारपीट की थी। रामदेवी अ०सा0—2, रूपाबाई अ०सा0—3 व रामकली अ०सा0—4 अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि तो करती है कि अभियुक्तगण ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें उपहित कारित की थी, परंतु इन साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये की विवाद सपना अ०सा0—1 के साथ प्रारंभ हुआ था तथा अभियुक्त बल्लू ने सपना अ०सा0—1 को चनकरी मार कर सिर में उपहित कारित की, इन साक्षियों के अनुसार सपना से अभियुक्तगण को कोई विवाद ही नहीं हुआ, स्वयं फरियादिया सपना अ०सा0—1 भी अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं करती तथा घटना में अभियोजन कहानी के अनुसार मुख्य आहत होते हुये भी यह साक्षी रामदेवी अ०सा0—2 के साथ अभियुक्तगण का विवाद होना बताती है तथा संपूर्ण घटना अपनी घर की छत से देखना बताती है तथा स्वयं के साथ अभियुक्तगण का कोई विवाद न होना एवं सीढियों से गिरने से स्वयं को चोट आना बताती है।
- 12— अतः सपना अ०सा०—1, रामदेवी अ०सा०—2, रूपाबाई अ०सा०—3 व रामकली अ०सा०—4 के कथनों में समानता अवश्य है, परंतु इन साक्षियों के द्वारा दिये गये कथन संपूर्ण अभियोजन घटना को ही परिवर्तित कर देते हैं। रामदेवी अ०सा०—2, रूपाबाई अ०सा०—3 व रामकली अ०सा०—4 के साथ अभियुक्तगण के राजीनामें के कारण उनकों कारित हुई उपहित के संबंध में अभियुक्तगण पर जो आरोप थे उन में पहले ही अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके हैं। जबिक सपना अ०सा०—1 को कारित की गई उपहित के संबंध में स्वयं फरियादियां सपना अ०सा०—1 सिहत अन्य किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध व अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये। स्वयं फरियादिया के अनुसार उसे गिरने से चोटें आई तथा अभियुक्तगण से उसका कोई विवाद नहीं हुआ ऐसे में अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरूद्ध फरियादी सपना अ०सा०—1 को कारित हुई उपहित के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, जो कि निश्चित रूप से प्रकरण में हुये राजीनामें का परिणाम दर्शित करती है।
- 13— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह साबित नही होता कि अभियुक्तगण ने दिनांक—05.11.2011 ग्राम मुरादपुर में फरियादियां सपना को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार वस्तु से सपना को स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 14— अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण **बल्लू पुत्र सुखलाल ढीमर ,पुष्पाबाई पत्नी बल्लू ढीमर, सुरेश पुत्र किशन ढीमर** के विरूद्ध भा0दं0वि० की धारा—324/34 के आरोप

साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण बल्लू पुत्र सुखलाल ढीमर , पुष्पाबाई पत्नी बल्लू ढीमर, सुरेश पुत्र किशन ढीमर को भा०दं०वि० की धारा—324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

15— अभियुक्तगण बल्लू पुत्र सुखलाल ढीमर ,पुष्पाबाई पत्नी बल्लू ढीमर, सुरेश पुत्र किशन ढीमर के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)